(6)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No.....1060/22
Summary No...482/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर मप्र।

---- अभियोगी

वनाम

विनोदसिंह पिता कालुसिंह
उम्र - 36 वर्ष नि - आंडी

-----अभियुक्त

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 29/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ, जिला मंदसौर (म.प्र) आप अभियुक्त विनोदसिंह पिता कालुसिंह उम्र 36 वर्ष निवासी–आंडी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टया निर्मित कर पढकर सुनाता समझाता हूं कि :–

01– आपने दिनांक 17/10/22 को समय 18:40 से 19:00 बजे के दरमियान बुढ़ा - बाटी रोड, बरखेड़ा मंदसौर पुलिस थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर क्षेत्र अतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 16 क्वा. देशी प्लेन / मसाला शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1–क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र)

अभियुक्त का अभिवाक:–

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि अपराध स्वीकार है।

विनोदसिंह

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No 1060/22
Summary No 482/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ——— अभियोगी
जिला मदसौर मप्र।

बनाम

विनोद सिंह पि. कालुसिंह ———अभियुक्त
उम्र - 36 वर्ष नि - आडी

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 29/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान मे लोगो मे नशा करने की प्रवृत्तिया बढ रही है। अतः प्रकरण के तथ्यो एव परिस्थितियों पर विचार उपरात अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नही दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एव 5001/- रूपये के अर्थदण्ड से दडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही कियें जाने की दशा मे अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा शराब विधिवत नष्ट की जावे।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान - नारायणगढ
दिनाक 29/10/22

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मदसौर म प्र